25

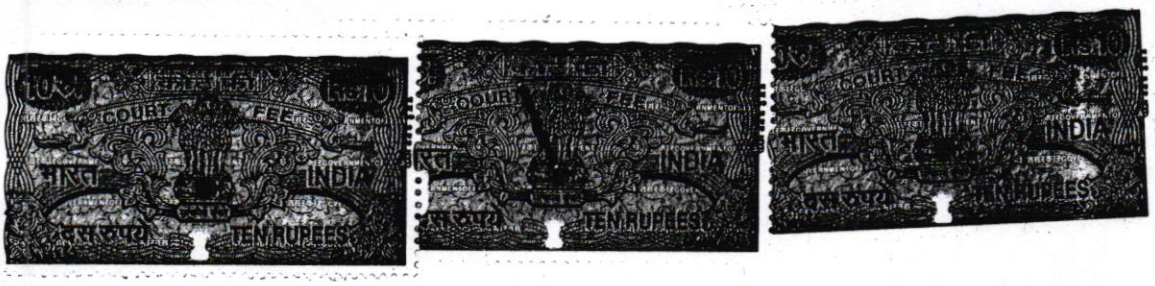

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– I/निग./भू.रा./टीकमगढ़/2018/
I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0159

श्री आर-एस- सेंगर द्वारा आज दि. 4-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– बाबू लाल

2– रघुवीर

3– विठुल्ला

4– रज्जन पुत्रगण झुत्तर सिंह समस्त निवासीगण ग्राम भदरई उदयपुरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ म.प्र. –आवेदकगण

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलैक्टर जिला टीकमगढ़ –अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक रीडर –1/एस.डी.ओ./2017/1722 पारित आदेश दिनांक 30/10/2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

महोदय,

आवेदकगण की ओर निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

_निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–_

1– यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम भदरई उदयपुरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 312 रकवा 0.656 हैक्टर की भूमि स्वामी आवेदकगण की माँ भूरी बाई बेवा श्री झुतर सिंह यादव थी, उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण के नाम फोती नामांतरण पंजी क्रमांक 60 दिनांक 20/12/1990 को नायब तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ द्वारा वारिसाना का नामांतरण किया गया।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0159 जिला - टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-4-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदारए लिधौरा को भूमि खसरा नं0 312 रकबा 0.656 हैक्टर स्थित ग्राम भदरई उदयपुरा की भूमि पर खसरा के कॉलम नंबर 3 में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से आवेदकों का नाम दर्ज होना मानते हुए उसे विलोपित करने के आदेश दिए हैं । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश प्रथमदृष्टया विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने उक्त पत्र जारी करने के पूर्व आवेदकों को सुनवाई का कोई अवसर दिया हो । अत: उक्त आदेश इसी स्तर पर निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे विधिवत प्रकरण दर्ज कर आवेदकों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पुन: विधिसम्मत आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	